خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی-فارسی یونیورسٹی لکھنؤ
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय
Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University
सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ-226013
Website : www.uafulucknow.ac.in, E-mail : uafulucknow@gmail.com
Phones : 0522-2774041-45, Fax : 0522-2774046

Ref : 605/उ0अ0फा0वि/2016/19/10 Date : 04/02/2016

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 5वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2016 का कार्यवृत्त।

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 5वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सम्मिलित हुए :–

क्र0सं0	नाम	पद
1.	प्रो0 ख़ान मसऊद अहमद, कुलपति	अध्यक्ष
2.	मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0सी0 वर्मा	सदस्य
3.	श्री0 वी0डी0 मिश्रा	सदस्य
4.	श्री योगेश मोहन जी गुप्ता	सदस्य
5.	प्रो0 ज़ाहिद हुसैन खान	सदस्य
6.	श्री अजमल हुसैन ज़ैदी	सदस्य
7.	श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी,	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	डॉ0 नाज़िम हुसैन अल जाफरी, कुलसचिव	पदेन सचिव

बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं कार्यपरिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

आइटम नं0–5.01

दिनांक 01 जून 2013 को डा0 राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ के मीटिंग हॉल में हुई कार्यपरिषद की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय–

कार्यपरिषद को दिनांक 01 जून 2013 को डा0 राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ के मीटिंग हॉल में हुई कार्यपरिषद की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों एवं उस पर की गई कृत कार्यवाहियों से अवगत कराया गया।

आइटम नं0–5.02

शासन द्वारा निर्गत प्रथम परिनियमावली को लागू करने की अनुमति प्रदान करना।

निर्णय–

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली को लागू करने की अनुमति प्रदान की गयी।

आइटम नं0–5.03

शिक्षक पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति का प्रस्ताव।

निर्णय–

कार्यपरिषद द्वारा पूर्व विज्ञाप्ति विज्ञापन संख्या–02/2013 को निरस्त करते हुए शिक्षकों के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी पुनः विज्ञप्ति जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। बैठक में कुलपति महोदय ने रिक्त पदों का विज्ञापन शासन द्वारा निर्गत नई आरक्षण नीति एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रकाशित कराने का कार्यपरिषद को आश्वासन दिया।

आइटम नं0–5.04

मा0 कुलाधिपति द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी विषय पर निर्गत आदेश दिनांक 13 जून, 2014 का अवलोकन।

निर्णय–

कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा मा0 कुलाधिपति जी के निर्गत आदेशों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बैठक में श्री योगेश मोहन जी गुप्ता ने प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये प्रकरण के परीक्षण हेतु समिति के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार समिति के गठन का निर्णय लिया गया :–

1–मा0 न्यायमूर्ति श्री एस0के0 त्रिपाठी (सेवानिवृत्त)	**–अध्यक्ष**
2–श्री हीरालाल गुप्ता (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0)	**–सदस्य**
3–प्रो0 अशोक मित्तल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	**–सदस्य**
4– कुलसचिव	**–समन्वयक**

समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट प्रस्तुति के 15 दिनों में कार्यपरिषद की बैठक आहूत कर समिति की रिपोर्ट को बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

आइटम नं0—5.05

विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014—15 का प्रस्तुतिकरण।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014—15 पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

आइटम नं0—5.06

विश्वविद्यालय का लेखा—जोखा (Balance Sheet) वर्ष 2009—10, 2010—11, 2011—12 का अवलोकन।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा वित्त समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2009—10, 2010—11 एवं 2011—12 की बैलेंस शीट पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं वित्त अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 की बैलेंस शीट यथाशीघ्र वित्त समिति से अनुमोदित कराकर कार्यपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

आइटम नं0—5.07

विश्वविद्यालय की 5वीं वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा 5वीं वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए सम्बन्धित बिन्दुओं पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये—

1. विधि सलाहकार के सम्बन्ध में सर्विस केसेस से सम्बन्धित किसी अधिवक्ता को विश्वविद्यालय से जुड़े प्रकरण देखने हेतु नामित किया जाये।
2. चिकित्सक के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक को प्राथमिक उपचार (First Aid) की ट्रेनिंग दी जाये तथा उनकी देख—रेख में प्राथमिक उपचार (First Aid) का सामान रखा जाये। आपातकालीन स्थिति के लिए विश्वविद्यालय के समीप कैरियर मेडिकल कालेज से समन्वय स्थापित कर उपचार की व्यवस्था की जाए।

आइटम नं0—5.08

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के कक्षों तथा छात्र एवं छात्रा छात्रावास के विभिन्न दरों का निर्धारण।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा छात्र—छात्रा छात्रावास एवं अतिथि गृह के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट पर सहमति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

1. समिति द्वारा निर्धारित छात्रावास शुल्क रू06000/— प्रतिवर्ष प्रतिछात्र लिया जायेगा।
2. छात्रावासों के मेस का ठेका गुणवत्ता के आधार पर दिया जायेगा।

3. छात्रों से सर्वेन्ट चार्ज नहीं लिया जायेगा।
4. कॉशन मनी को विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जायेगा।
5. छात्रावासों में पुरूष एवं महिला दोनों वार्डेन होंगे।
6. अतिथि गृह के शुल्कों से सम्बन्धित प्रकरण को आस्थगित किया गया।

आइटम नं0—5.09

कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी के आवासों की मरम्मत दर तथा विद्युत बिलों का निर्धारण।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण आस्थगित किया गया।

आइटम नं0—5.10

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्राविधान के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों के शिक्षण के लिए आयुर्वेदिक एवं यूनानी संकायों के गठन के संबंध में।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों के शिक्षण के लिए आयुर्वेदिक एवं यूनानी संकायों के गठन हेतु विस्तृत प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजकर अनुमति प्राप्ति का निर्णय लिया गया।

आइटम नं0—5.11

विश्वविद्यालय में प्राइवेट कोर्स के संचालन के संबंध में।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा प्राइवेट कोर्स के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

आइटम नं0—5.12

विश्वविद्यालय के उप/सहायक प्राक्टर की संख्या का निर्धारण।

निर्णय—

कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि उप प्राक्टर की अभी आवश्यक्ता नहीं है। 02 (दो) सहायक प्राक्टर (एक महिला एवं एक पुरूष) की नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान की गई। इन सहायक प्राक्टरों को रू01,000/— (रूपया एक हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जायेगा।

आइटम नं0—5.13

विश्वविद्यालय में मा0 कुलपति द्वारा की गयी नियुक्तियों की पुष्टि।

कुलसचिव

(i) प्राक्टर।

निर्णय–

कार्यपरिषद द्वारा पुष्टि की गई एवं बैठक की तिथि 18.01.2016 से एक वर्ष तक के लिये डॉ0 नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य को प्राक्टर नियुक्त किया गया। प्राक्टर को रू02,000/– (रूपया दो हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जायेगा।

(ii) पुस्तकालय प्रभारी की नियुक्ति।

निर्णय–

कार्यपरिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

आइटम नं0–5.14

मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय हित में विभिन्न विषयों पर लिये गये निर्णयों का प्रस्तुतिकरण।

(i) भूमि अधिग्रहण ।

निर्णय–

कार्यपरिषद को विश्वविद्यालय हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(ii) विश्वविद्यालय भवन निर्माण की परियोजना।

निर्णय–

कार्यपरिषद को विश्वविद्यालय भवन निर्माण की परियोजना के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(iii) उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–7(ख) की अधिसूचना।

निर्णय–

कार्यपरिषद को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–7(ख) की अधिसूचना के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(iv) च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)

निर्णय–

विश्वविद्यालय में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) लागू करने के कुलपति महोदय के निर्णय पर कार्यपरिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही आनर्स के लिये मापदण्ड (Criteria) बनाने के भी निर्देश दिये गये।

(v) मदरसा डिग्रियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मान्यता देने के सम्बन्ध में।

निर्णय–

मदरसा डिग्रियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मान्यता देने के कुलपति महोदय के निर्णय पर कार्यपरिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कुलपति

(vi) प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी नियम।

निर्णय–

प्रवेश एवं परीक्षा सम्बन्धी कुलपति महोदय के निर्णयों पर कार्यपरिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अगले शैक्षिक सत्र से किसी भी कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए कम से कम 10 विद्यार्थियों का होना आवश्यक होगा।

(vii) विश्वविद्यालय में बी0एड0 कोर्स को प्रारम्भ करने हेतु एन0सी0टी0ई0 की स्वीकृति।

निर्णय–

कार्यपरिषद को विश्वविद्यालय में बी0एड0 कोर्स को प्रारम्भ करने हेतु एन0सी0टी0ई0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(viii) विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रबन्धन विषय में प्रवेश के संबंध में।

निर्णय–

कार्यपरिषद को स्थिति से अवगत कराया गया। कार्यपरिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबन्धन विषय में छात्र–छात्राएं आवंटित न होने की दशा में विश्वविद्यालय स्वयं लिखित परीक्षा द्वारा प्रवेश लेगा। प्रवेश परीक्षा में कम अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की दशा में स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा।

आइटम नं0–5.15

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(डॉ0 नाज़िम हुसैन अल जाफ़री)
कुलसचिव / पदेन सचिव।

संख्याः 605 (01) / उ0अ0फा0यू0 / 2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यगण।
2. प्रमुख सचिव मा0 श्री राज्यपाल / कुलाधिपति जी को मा0 कुलाधिपति जी के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव कुलपति को कुलपति एवं कार्यपरिषद के अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, वित्त अधिकारी।
5. सम्बंधित पत्रावली।
6. गार्ड फाइल।

(कुलसचिव)